

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 5376 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका जावाल जिला सिरोही के पद का कार्य करने हेतु श्री कनाराम भील को अधिकृत किया गया था एवं विभागीय आदेश दिनांक 09.03.2022, 09.05.2022 एवं 07.07.2022, 13.09.2022, 17.11.2022, 18.01.2023, 18.04.2023, 05.07.2023 व 04.08.2023 के द्वारा क्रमशः कार्यभार अवधि 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए बढ़ाई गई थी।

अतः श्री कनाराम भील अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) सदस्य नगरपालिका जावाल को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अध्वधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यभार अवधि पूर्व आदेश क्रमांक 951-965 दिनांक 04.08.2023 की निरन्तरता में आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार अवधि बढ़ाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/2023/1042-1056

जयपुर,दिनांक : 14.09.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राधिकावालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर सिरोही।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर।
8. अध्यक्ष/अधिसूचक अधिकारी नवगठित नगरपालिका जावाल।
9. संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय।
10. प्रगतिशील मॉनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्री कनाराम भील, अध्यक्ष नवगठित नगरपालिका जावाल।
12. अधिसूचक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज, जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के अन्तर्गत अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. प्रशासन निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रादली।

(संजय माथुर)

विशेष संयुक्त विधि परामर्शी